

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक: 08 जून, 2018

विषय :- हरिद्वार/ऋषिकेश में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के रखरखाव कार्य हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 40/वि0अनु0/02/शा0 अनु0/2018-19 दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिद्वार/ऋषिकेश में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के रखरखाव कार्य हेतु शासनादेश संख्या-185/उन्तीस(2)/16-2(27पे0)/2011 दिनांक 23 मार्च, 2017 द्वारा कुल रू0 1300.33 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वर्तमान तक अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 752.02 लाख (रू0 सात करोड़ बावन लाख दो हजार मात्र) को कम करते हुए अवशेष रू0 548.31 लाख (रू0 पांच करोड़ अड़तालीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।
- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
- (ii) शासनादेश संख्या-1121/उन्तीस(2)/11-2(27पे0)/2011 दिनांक 25 अगस्त, 2011 के अनुरूप शेष शर्तें यथावत रहेगी।
- (iv) व्यय करते समय बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का पालन कड़ाई से किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक-2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मल निकासी एवं सफाई-106-वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण-03-गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु जल संस्थान को अनुदान(फेज 1 व 2)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या-H1806130225, दिनांक 06 जून, 2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या-519/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-54/XXVII(2)/2018, दिनांक 14 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पू० संख्या-723./उन्तीस(2)/18-2(27 पे०)/2011, तददिनांकित।
प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग- /2, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।